राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 20 (1)साप्र/2/14 जयपुर, दिनांक 30 MAY 2014

-: आदेश :-

श्रीमती रंजना देवी, पुस्तकालयाध्यक्ष, राजकीय महाराजा सार्वजनिक मण्डल पुस्तकालय, चौड़ा रास्ता, जयपुर को उनकी चतुर्थ श्रेणी में 'एफ' श्रेणी की वरियता 292 एवं सेवानिवृत्ति 31.8.2028 के आधार पर उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर पूर्व में आवंटित राजकीय आवास संख्या 4/148, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर स्वतंत्र राजकीय आवास संख्या एफ-705, गांधीनगर, जयपुर का निम्नलिखित शर्तो के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता हैं।

शर्ते :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवासय के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नही किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

इस विभाग के आदेश संख्या प.20(1)साप्र/2/14 दिनांक 19.3.2014 के द्वारा आवंटित आवास एफ-467, गांधीनगर का आवंटन कब्जा नहीं लेने के कारण निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग/जन स्वा0 अभि0 विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 गाँधीनगर,, जयपुर।
5. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर।
6. सम्बन्धित कर्मचारी, श्रीमती रंजना देवी, पुस्तकालयाध्यक्ष, राजकीय महाराजा सार्वजनिक मण्डल पुस्तकालय, चौड़ा रास्ता, जयपुर को भेजकर लेख है कि परिवर्तित आवास एफ-705, गाँधीनगर का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास 4/148, गाँधीनगर, जयपुर को रिक्त करने का श्रम करें।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
8. रक्षित पत्रावली।

(मुन्नालाल शर्मा) 29/5/14
सहायक शासन सचिव

E:\SSR ALLOTMENT.doc